

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

प.14(45)(2)/RSMSSB/ अर्थना/त.शि./कनि.अनु./पात्रता जांच/2018/1591 दिनांक 8/1/2020

—:: कार्यालय आदेश ::—

बोर्ड द्वारा कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता(प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण) विभाग के लिये राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम-1975 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालियक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत कनिष्ठ अनुदेशक(इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर) सीधी भर्ती परीक्षा- 2018 गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र की परीक्षा दिनांक 23.03.2019, 24.03.2019 एवं दिनांक 26.03.2019 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा दिनांक 08.08.2019 को जारी किया गया है तथा संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 18.11.2019 को जारी किया गया है।

कनिष्ठ अनुदेशक (इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर) सीधी भर्ती परीक्षा-2018 गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों के विरुद्ध वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों का 1.5 गुणा एवं अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों के विरुद्ध वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों का 1.5 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिये सूचीबद्ध किया गया है। ये सूचियां पूर्णतया अस्थाई एवं अनन्तिम (Purely Provisional) है। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच मूल दस्तावेजों से की जानी है। साथ ही पात्रता एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) भी लिया जाना है। अतः कनिष्ठ अनुदेशक (गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र) सीधी भर्ती परीक्षा-2018 में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नानुसार अपने रोल नम्बर के सामने अंकित दिनांक को प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, EMI Campus, J-8-A झालाना सांस्थानानिक क्षेत्र (RTO ऑफिस के पीछे वाली सडक, झालाना ऑफिसर्स क्लब के सामने) जयपुर पर पात्रता की जांच हेतु आवश्यक रूप से विस्तृत आवेदन (दो प्रतियों में) एवं मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों :-

कनिष्ठ अनुदेशक (इलेक्ट्रिशियन) सीधी भर्ती परीक्षा- 2018

गैर-अनुसूचित क्षेत्र

रोल नम्बर								दिनांक
200031	200054	200062	200159	200171	200300	200363	200366	15.01.2020
200503	200610	200750	200886	201226	201332	201494	201580	
201631	201705	201949	201962	202099	202116	202175	202377	
202522	202600	202692	202714	202746	202762	202816	202845	
202983	203012	203037	203049	203391	203543	203575	203595	
203626	203818	203831	204040	204297	204441	204570	204665	
205190	205233	205254	205300	205349	205353	205412	205551	
206113	206257	206300	206456	206466	206541	206640	206680	
206692	206892	206963	207030	207381	207388	207444	207463	
207488	207781	207789	207914	207950	207962	208053	208067	
208076	208082	208129	208236	208729	208896	209035	209053	
209243	209251	209374	209381	209461	209474	209633	209641	
209678	209943	209981	210324	210513	210758	211024	211027	
211101	211248	211280	211308	211312	211376	211415	211590	
211654	211827	211954	211978	211981	212448	212694	212811	
212902	213303	213392	213492	213797	214019	214029	214066	

214105	214133	214248	214276	214328	214409	214459	214575	
214638	214699	214913						

अनुसूचित क्षेत्र

रोल नम्बर	दिनांक
201692 203680 204519 204760 206352 211944 213485 213566	15.01.2020

कनिष्ठ अनुदेशक (फिटर)

गैर-अनुसूचित क्षेत्र

रोल नम्बर	दिनांक
100002 100072 100153 100162 100170 100225 100264 100265	16.01.2020
100361 100386 100411 100443 100517 100581 100679 100727	
100739 100797 100827 100828 100891 100923 101145 101158	
101169 101333 101414 101484 101523 101560 101582 101703	
101719 101736 101764 101809 101819 101827 101897 101905	
101914 101970 102025 102126 102137 102225 102238 102243	
102280 102392 102414 102462 102472 102534 102608 102646	
102655 102672 102693 102732 102758 102805 102924 102940	
102954 102960 102985 102989 103100 103173 103205 103230	
103248 103459 103499 103523 103645 103719 103757 103773	
103822 103898 103936 103954 104018 104021	

अनुसूचित क्षेत्र

रोल नम्बर	दिनांक
100026 101531 102259 102805 102813 103462 103493	16.01.2020

कनिष्ठ अनुदेशक (वेल्डर)

गैर-अनुसूचित क्षेत्र


रोल नम्बर	दिनांक
500004 500029 500064 500078 500089 500133 500142 500146	17.01.2020
500148 500186 500204 500210 500226 500270 500298 500313	
500341 500350 500371 500375 500404 500439 500458 500469	
500489 500594 500615 500710 500745 500746 500750 500790	
500868 500885 500915 500922 500940 501024 501029 501091	
501099 501106 501113 501114 501115 501130 501133 501138	
501173 501199 501239 501288 501292 501303 501321 501322	
501335 501412 501414 501425 501431 501450 501509 501532	
501570 501576 501604 501613 501637 501641 501679 501707	

अनुसूचित क्षेत्र

रोल नम्बर	दिनांक
500029 500610 501397 501469	17.01.2020

पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखे :-

1. विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर “अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देश” एवं कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा- 2018 के लिये दिनांक 25.04.2018 को जारी विज्ञप्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र एवं निर्देश तथा विस्तृत आवेदन का प्रारूप मय प्रपत्रों के बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
2. विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में अलग-अलग लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटोप्रति स्वीकार नहीं की जायेगी। विस्तृत आवेदन की एक प्रति के साथ 100/रु. का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से संलग्न करना है।
3. शैक्षणिक योग्यता, आयु, श्रेणी(अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग), विशेष श्रेणी(भूतपूर्व सैनिक,उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन, अनुसूचित क्षेत्र), चरित्र, वैवाहिक स्थिति(विधवा, परित्यक्ता), संतान संबंधी, सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लावें।
4. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवेदन में CITS एवं अनुभव का उल्लेख किया है, वे अभ्यर्थी CITS प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों की मूल प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से साथ लावें।
5. जिन अभ्यर्थियों का अस्थाई चयन गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र दोनों में ही हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी अपने पदस्थापन हेतु अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र का विकल्प पत्र भरकर प्रस्तुत करें।
6. विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण-पत्रों एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
7. अनुभव प्रमाण पत्र में वेतन नहीं लिखा होने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा। सभी अनुभव प्रमाण दस्तावेज सत्यापन के समय एक बार में ही जमा कराने होंगे, बाद में नया अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। साथ ही अनुभव के संबंध में प्रतिमाह वेतन बैंक खाते में जमा होने का प्रमाण/ईपीएफ कटौती का प्रमाण/सैलेरी स्लिप प्रस्तुत करेंगे।


(डॉ. बी.एल. जाटावत)
अध्यक्ष